

उ० सं ३५/२०१७ रें वर
उत्तरहि धारा ३३ रर Act.

में प्रकरण में
आगे कार्यवाही
नहीं चाहता है

का वा खारी ज
फरमाया जाके
गोवर्धन लाल को

gulerlal kumar
#52

पञ्जाब राजस्व लोक अदालत नर
आपके छोट २०१४ के तरह सुझाव
बहाल प्रकृत हुई। वादी गोवर्धन
लाल लेनी उपस्थित। वादी की
पहचान उसके अधिवक्ता श्री
परमेश्वर सुब्रह्मण्य द्वारा की
गई। वादी ने आई शिका में
उल्लिखित किया है कि " मैं
प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं
चाहता हूं वा वा खारी जफरमाया
जावे"।

चूंकि वादी विचार धीर वा
प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहता है अतः अब इस

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

गंगानगर जिला भीलवाड़ा (राज)

Gulerlal

तारीख
हुकम

प्रकाश में कोई कार्यवाही उपे दित
 नहीं रही है। इतः वादी का
 बाद पर अनन्तर्ति धारा 53 RFA
 का वादी का कोई कार्यवाही
 नहीं चाहते है खारिज किया
 जात है। परन्तु बाद दरवाना
 रजिस्टर के फौसल मुफ्त होकर
 नम्बर से कात है।

सिहाय कृष्ण कलकट
 (उपखण्ड: अधिकारी)
 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

2

6